न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–30/2024
प्रकरण दायर दिनांकः–15.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 14.08.2024

उनवान– राज. सरकार बनाम ओमप्रकाश वगै.

राजस्व ग्राम नन्देरा स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः–14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/2024/228 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम नन्देरा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 33 पुराना 33 के खसरा नं. 1084 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1096 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1094 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.0025 हैक्ट., 1093 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खाता सं. नया 134 पुराना 129 के खसरा नं. 1125 रकबा 0.12 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1124 रकबा 0.14 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट., 1123 रकबा 0.14 हैक्ट. में से 0.0050 हैक्ट., 1121 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. एवं सिवायचक भूमि खाता सं. नया 1 पुराना 1 के खसरा नं. 1107 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में पटवारी हल्का नन्देरा, भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 11.03.2024, राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम नन्देरा खाता सं. नया 01 पुराना 01, खाता सं. नया 33 पुराना 33 एवं खाता सं. नया 134 पुराना 129 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण/खातेदारान कालूराम, गिरधारी, भौरीलाल, कजोडमल, बनवारीलाल, सुरेश चन्द, कैलाश स्वयं उपस्थित आये एवं रास्ते बाबत सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थीगण रोशन पुत्र स्व. पून्याराम, किशोर, कैलाश पुत्रान पून्याराम, सिंगारी देवी पत्नि स्व. पून्याराम, महेश, रमेश, राजूलाल, हजारीलाल पुत्रान रामजीलाल, मॉगीलाल पुत्र स्व. मोहनलाल, लालीदेवी पत्नि मोहनलाल की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी ने वकालतनामा एवं जवाब/आपत्ति पेश की। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब/आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जावे। जिसके खसरा नम्बरान 1125, 1124, 1123, 1121 हैं मौके पर जो रास्ता चालू बताया है वह रास्ता ग्राम पंचायत द्वारा आपसी सहमति से नहीं बनवाकर पून्या/बाल्या के वारिसानों के द्वारा अपनी निजी भूमि पर अपनी सहमति से बनवाया है। उपरोक्त खसरा नंबरान में यह रास्ता पूर्व में चालू नहीं था। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/आपत्ति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम नन्देरा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 33 पुराना 33 के खसरा नं. 1084 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1096 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1094 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.0025 हैक्ट., 1093 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खाता सं. नया 134 पुराना 129 के खसरा नं. 1125 रकबा 0.12 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 1124 रकबा 0.14 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट., 1123 रकबा 0.14 हैक्ट. में से 0.0050 हैक्ट., 1121 रकबा 0.07 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. एवं सिवायचक भूमि खाता सं. नया 1 पुराना 1 के खसरा नं. 1107 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/आपत्ति में खसरा नम्बरान 1125, 1124, 1123, 1121 में मौके पर जो रास्ता चालू बताया है वह रास्ता ग्राम पंचायत द्वारा आपसी सहमति से नहीं बनवाकर पून्या/बाल्या के वारिसानों के द्वारा अपनी निजी भूमि पर अपनी सहमति से बनवाया जाना बताया है तथा उपरोक्त खसरा नंबरान में यह रास्ता पूर्व में चालू नहीं होना वर्णित करते हुए प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत अप्रार्थीगण/खातेदारान द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/आपत्ति के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम– नन्देरा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

2024

पक्ष हेतु [illegible]
5.8.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

5/8/24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस हुई। पक्षों के एडवोकेट डिगांक 14.8.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

14/8/24 पत्रावली पेश हुई वक्तीन उभयपक्ष। उभय उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं जवाब/आपत्ति [illegible] का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं प्रस्तुत प्रत्यावेदन व जवाब/आपत्ति के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम-नंदेय स्थित खातेदारी भूमि के से मार्ग पर पानराल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय

रीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुष्ठ को लिखा जाकर दाखिल पत्रावली किया गया। पत्रावली ~~विक्रमकुमार~~ होकर आज तत्काल दाखिल दफ्तर हो। 14.8.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	